18(5)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

48/19/915. श्रीमती पार्वती देवी V/S सुधीर ——

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर अप्रार्थी सं. 01 शिविर विजयनगर श्री कुलवन्त सिंह चौहान श्री राजकीय अभिभाषक-2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
6.10.21	श्रीमती पार्वती देवी बनाम सुधीर जैन वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते आदेश पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.10.2021 को बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त अपील दिनांक 26.11.2019 को सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. में नियत थी, जिस बाबत् आपत्ति का निस्तारण किया जाना था। अपीलार्थी के अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा अपीलार्थी के अभिभाषक जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे एवं उपरोक्त परिस्थितिवश उपस्थित न हो सकें। उक्त अपील मे पक्षकारो के मध्य कृषि बाबत् विवाद है। अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने की स्थिति में अपीलार्थीगण को उक्त अपील में न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा जिससे अपीलार्थीगण का अपने हक अधिकार की कृषि भूमि से वंचित होना पडेगा जिससे अपीलार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अपीलांटस के अभिभाषक ने अपीलांट को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण से प्रार्थी/अपीलांट नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अपीलार्थी की अपील को रेस्टोर किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थीगण अपील में न्याय से वंचित हो जायेगें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 383/2014 श्रीमती पार्वती देवी व अन्य बनाम सुधीर कुमार व अन्य को पुनः रेस्टोर कर उसी नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने जवाब/ बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.2019 को अपीलांट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अपील के अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया है जो विधि सम्मत है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09जा.दी. निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अबलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किये जाना चाहिए इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. में हुए विलम्ब को 1000/-(एक हजार रूपये) कोस्ट पर क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट 1000/-रूपये कोस्ट राजस्व बार संघ में जमा कराके रसीद पेश करें। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. में हुए विलम्ब को 1000/-(एक हजार रूपये) कोस्ट पर क्षमा किया जाता है प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**	